न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. नाहरसिंह पिता गुलाबसिंह जी, निवासी गांव बिछावेडा, पोस्ट मजावडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भारतसिंह पिता गुलाबसिंह जी, निवासी गांव बिछावेडा, पोस्ट मजावडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. ि"ावसिंह पिता मानसिंह जी, निवासी गांव बिछावेडा, पोस्ट मजावडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. खुमाणसिंह पिता मानसिंह जी, निवासी गांव बिछावेडा, पोस्ट मजावडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती उमेद कुंवर पत्नी उदयसिंह जी, निवासी गुपडी, पोस्ट गुपडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती प्रताप कुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जी देवड़ा, निवासी साकरोदा तलामगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (नाम हटाया गया)
5. श्रीमती लच्छु कुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जी पवार, निवासी पाठों की मगरी, नियर मदर पब्लिक स्कूल, सेवाश्रम के पास, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती भुर कुंवर उर्फ भुरी कुंवर पत्नी उदयसिंह जी देवड़ा, निवासी बामणिया खेत मडता, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. भीमसिंह पुत्र स्वर्गीय माता श्रीमती कि"ाोर कुंवर, निवासी ईडाना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8. दुल्हेसिंह पिता कि"ानसिंह जी, निवासी गांव बिछावेडा, पोस्ट मजावडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 22.01.2018 प्र॰सं॰ 118/17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री डी0 एस0 भाक्तावत अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. स. 9

4. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाशक न.वि.प्र. रे. सं. 10

———::———

निर्णय दिनांक

30–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदे"ा 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ि"ा"ावली में आराजी नंबर 185, 186, 187 व 188 कुल किता 4 रकबा 2.1900 हैक्टर भूमि स्थित होकर वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 8 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसके पुराने नंबर 71 हैं, जो प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 8 के पूर्वाधिकारियों को आवंटित हुई। उक्त साबिक आराजी नंबर 71 के

बने नये नंबर कि"ानसिंह पिता भैरूसिंह व गुलाबसिंह पिता पदमसिंह के नाम आधे–आधे हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्षीगण ने मिलीभगत कर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि उक्त भूमि में प्रार्थीगण का भी 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज हो जाने से विक्रय करने पर आमादा हैं। अतः विपक्षीगण को इस आ"ाय की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित उक्त भूमि का किसी प्रकार का अन्तरण न करें, न ही किसी प्रकार की कारतीमारी व परिवर्तन करें न करावें।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 22–01–2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 23–03–2018 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री डी. एस. भाक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 नगर विकास प्रन्यास की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमां में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि जमाबन्दी के अवलोकन से स्पश्ट है कि साबिक आराजी नंबर 71 में अपीलान्ट के पूर्वधिकारी का 1/2 हिस्सा था, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान उनका नाम हटा दिया गया है, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं हैं, उन्हें सिर्फ पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना होता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के रेकार्डेड खातेदार होने के आधार पर उनके विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की है तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण को कॉज ऑफ एक्’ान 75 वर्श बाद कैसे उत्पन्न हुआ इस बाबत् किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट/ प्रार्थीगण का अस्थाई निशेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है, जो विधि अनुसार है, क्योंकि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के विधिक प्रावधान हैं। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के विवेचन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आव’’यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन हाने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–01–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर